



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235466
CG-DL-E-30042022-235466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1913]

No. 1913]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2013(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लपुरा जिले में एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के कि.मी. 463.600 से कि.मी. 524.000 (निरुभावी केम्पन्न लेयौट, हेब्बल, बेन्गलौर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् असिस्टन्ट कमिश्नर(केएएँस) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चिक्कबल्लपुरा जिले में एनएच-44 (पुराना एनएच-7) के कि.मी. 463.600 से कि.मी. 524.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चिक्कबल्लपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चिक्कबल्लपुरा					
गांव का नाम: चडालपुरा					
1	35/1	निजी	ड्राई	1,112.0000000(वर्ग मीटर)	0.1112000
2	36	निजी	ड्राई	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
3	78/2	निजी	गार्डन	24.0000000(वर्ग मीटर)	0.0024000
4	78/4	निजी	गार्डन	102.0000000(वर्ग मीटर)	0.0102000
5	79/1	निजी	ड्राई	160.0000000(वर्ग मीटर)	0.0160000
कुल				1,600.0000	0.1600

[फा. सं. NHAI/NH 7/AP Border to Avathi Village/KNT/LA2004/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2022

S.O. 2013(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Hyderabad - Bangalore Section of NH-44 (Old NH-7) in the stretch of land from Km. 463.600 to Km. 524.000 in the district of CHIKKABALLAPURA in the State of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Special Land Acquisition Officer & Competent Authority, No. 678/3, Neerubhavi Kempanna Layout, Hebbal, Bangalore, Karnataka in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Hyderabad - Bangalore Section of NH-44 (Old NH-7) in the stretch of land from Km. 463.600 to Km. 524.000 in the district of CHIKKABALLAPURA in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: CHIKKABALLAPURA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chikkaballapura					
Village: Chadulapura					
1	35/1	Private	Dry	1,112.0000000(Square Meter)	0.1112000
2	36	Private	Dry	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
3	78/2	Private	garden	24.0000000(Square Meter)	0.0024000
4	78/4	Private	garden	102.0000000(Square Meter)	0.0102000
5	79/1	Private	Dry	160.0000000(Square Meter)	0.0160000
Total				1,600.0000	0.1600

[F. No. NHAI/NH 7/AP Border to Avathi Village/KNT/LA2004/3A]

RAJESH GUPTA, Director